https://farid.ps/articles/israel_and_the_doctrine_of_divine_right/hi.html

इज़राइल और दैवीय अधिकार का सिद्धांत: जब जीवित रहने के लिए प्रतिरोध आवश्यक हो

> “जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव बनाते हैं, वे हिंसक क्रांति को अपरिहार्य बना देंगे।”
> - जॉन एफ. केनेडी

परिचय: जब कानून अब रक्षा नहीं करता

अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्म शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हुआ था - कमजोरों की रक्षा करने और ताकतवरों को रोकने के लिए। लेकिन इज़राइल और फिलिस्तीन के मामले में, यह वादा टूट चुका है। आज, कानून **कब्जेदार के लिए ढाल** और **कब्जे में रहने वालों के लिए पिंजरा** बन गया है।

फिलिस्तीनियों को बताया जाता है कि प्रतिरोध - शांतिपूर्ण या सशस्त्र - अवैध है। चाहे वे निहत्थे मार्च करें या बल प्रयोग करें, उनकी निंदा की जाती है। इस बीच, इज़राइल शक्तिशाली सहयोगियों के समर्थन और सुरक्षा व ऐतिहासिक आघात के कथानकों में लिपटकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बिना सजा के करता है।

यह निबंध तर्क देता है कि **लोगों**, जैसे कि राज्यों, को **विनाश के खिलाफ अपनी रक्षा करने का स्वाभाविक अधिकार** है। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किसी राष्ट्र के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है, उसी तरह **राज्यविहीन और उत्पीड़ित** लोगों को भी प्रतिरोध का अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए। जब शांतिपूर्ण विरोध को कुचल दिया जाता है और कानून का चयनात्मक रूप से लागू किया जाता है, तो प्रतिरोध न केवल उचित हो जाता है - बल्कि जीवित रहने के लिए आवश्यक हो जाता है।

इज़राइल की कानूनी छूट और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पतन

दशकों से, इज़राइल ने अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बिना सजा के किया है। **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसके कब्जे को अवैध घोषित किया। इसकी निरंतर बस्ती गतिविधियाँ **चौथे जिनेवा सम्मेलन** का उल्लंघन करती हैं। गाजा की इसकी नाकाबंदी - जिसे **एमनेस्टी इंटरनेशनल** ने सामूहिक दंड के रूप में वर्णित किया है - ने मानवीय संकट पैदा किया है।

इन निष्कर्षों के बावजूद, **कोई वास्तविक परिणाम** नहीं हुए:

- **कोई प्रतिबंध नहीं**, यहां तक कि 2024 में ICJ की सलाहकारी राय के बाद, जिसमें इज़राइल के साथ संबंधों की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था।
- **ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न** से संबंधित **कोई ICC गिरफ्तारी वारंट** नहीं, भले ही युद्ध अपराधों के स्पष्ट सबूत मौजूद हों।
- वैश्विक शक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय फैसलों की **कोई लागू** नहीं की गई।

अंतरराष्ट्रीय कानून तभी काम करता है जब इसे **सार्वभौमिक रूप से** लागू किया जाता है। जब यह कमजोरों को दंडित करता है और शक्तिशाली की रक्षा करता है, तो यह अपनी वैधता खो देता है। फिलिस्तीनियों को कहा जाता है कि वे कानून का पालन करें - लेकिन कानून अब उनकी रक्षा नहीं करता।

ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न: जब शांतिपूर्ण विरोध पर गोली चलाई जाती है

2018 में, गाजा में दसियों हज़ार फिलिस्तीनियों ने **ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न** में हिस्सा लिया - शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की एक श्रृंखला, जिसमें अपने पैतृक घरों में लौटने का अधिकार और नाकाबंदी समाप्त करने की मांग की गई थी। इज़राइल का जवाब संवाद

नहीं था, बल्कि स्नाइपर की गोलीबारी थी।

2019 के अंत तक:

- **214 फिलिस्तीनी मारे गए**, जिनमें **46 बच्चे** शामिल थे,
- **36,000 से अधिक घायल** हुए, कई स्थायी रूप से अंग-भंग हो गए,
- **156 अंग काटे गए**,
- **27 लोग रीढ़ की हड्डी की चोटों से लकवाग्रस्त** हो गए।

संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने पाया कि गोलीबारी का शिकार हुए अधिकांश लोग **कोई तत्काल खतरा** नहीं थे, और इज़राइल का आचरण संभवतः **युद्ध अपराधों** का गठन करता था।

और फिर भी - कोई प्रतिबंध नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं। कोई मुकदमा नहीं। दुनिया ने नजरें फेर लीं।

यदि शांतिपूर्ण विरोध को गोलियों से जवाब दिया जाता है, तो कौन सा नैतिक या कानूनी तंत्र अहिंसा की मांग कर सकता है? इसके सामने, **प्रतिरोध अतिवाद नहीं है** - यह परित्यक्त लोगों का अंतिम सहारा है।

दैवीय अधिकार का सिद्धांत और संप्रभु उन्मुक्ति की वापसी

ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर विशेष रूप से यहूदी संप्रभुता के लिए इज़राइल का औचित्य अक्सर न केवल आधुनिक कानून में, बल्कि **बाइबिल के वादे** में निहित है - कि भगवान ने यह भूमि यहूदी लोगों को दी थी। यह धार्मिक दावा, जिसे अमेरिकी इवेंजेलिकल्स द्वारा व्यापक रूप से समर्थन प्राप्त है, नीतियों और छूट दोनों को बढ़ावा देता है। **"मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं"** (उत्पत्ति 12:3) जैसे छंदों का उपयोग राज्य की हिंसा को पवित्र करने के लिए किया जाता है।

यह **दैवीय अधिकार के सिद्धांत** की याद दिलाता है, जिसे कभी राजाओं द्वारा पूर्ण शक्ति को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया था:

- मनमाने ढंग से कर लगाने का अधिकार,
- **ius primae noctis** (संप्रभु का उल्लंघन करने का अधिकार),
- किसी को **कानून से बाहर** घोषित करने की शक्ति, जिससे उसे सभी कानूनी संरक्षणों से वंचित कर दिया जाता था।

उस व्यवस्था में, राजा **कानून** था - और जो लोग विरोध करते थे, वे **नागरिक नहीं**, बल्कि अपराधी थे। आज, फिलिस्तीनी एक समान वास्तविकता का सामना करते हैं। इज़राइल कानून से ऊपर एक संप्रभु के रूप में कार्य करता है। फिलिस्तीनियों को, यहां तक कि प्रतीकात्मक प्रतिरोध के लिए भी अपराधी ठहराया जाता है, और उन्हें **कानून से बाहर** माना जाता है - एक ऐसी आबादी जिसके खिलाफ **कोई भी बल अनुमेय है**।

यह यहूदी-विरोधी नहीं है – यह सायनवादी हकदारी का अस्वीकरण है

लेकिन **यह यहूदी धर्म नहीं है**। यहूदी धर्म न्याय सिखाता है, न कि विजय। नबी करुणा की मांग करते हैं, न कि प्रभुत्व:

> "मैं प्रभु हूँ; मैंने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया है... मैं तुम्हें लोगों के लिए एक वाचा के रूप में, राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश के रूप में दूंगा।"
> - यशायाह 42:6

सच्ची यहूदी नैतिकता विनम्रता, न्याय और उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की मांग करती है। सायनवाद द्वारा "चुने हुए" को **हकदारी** में बदलना यहूदी धर्म का विस्तार नहीं है - यह इसका **विश्वासघात** है।

आनुवंशिक वंश और रिटर्न का कानून: एक आधुनिक धार्मिक विरोधाभास

इज़राइल का **रिटर्न का कानून (1950)** किसी भी यहूदी को - जिसे एक यहूदी दादा-दादी या धर्मांतरित के रूप में परिभाषित किया गया है - आप्रवास करने और नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है, भले ही वे या उनके पूर्वज कभी उस भूमि पर रहे हों। इसके विपरीत, 1948 और 1967 में निष्कासित फिलिस्तीनी - जिनमें से कई फिलिस्तीन में हजारों वर्षों तक अपने वंश को ट्रेस कर सकते हैं - **वापसी करने से वंचित** हैं।

नीति को यहूदी उत्पीड़न के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके धार्मिक निहितार्थ **दैवीय अधिकार** की सोच को दर्शाते हैं: कुछ लोग धार्मिक पहचान के आधार पर भूमि के **हकदार** हैं; अन्य, यहां तक कि वहां जन्मे लोग भी, नहीं हैं।

आनुवंशिक शोध इस दावे को कमजोर करता है। **फिलिस्तीनी ईसाई** और कई **फिलिस्तीनी मुस्लिम** जीनोमिक अध्ययनों के माध्यम से प्राचीन लेवेंटाइन आबादी के **प्रत्यक्ष वंशज** साबित हुए हैं, जिनमें कनानवासी और प्रारंभिक इस्राएलियों शामिल हैं। उनका भूमि से संबंध **गहरा, निरंतर और स्थान-आधारित** है।

इस प्रकार, रिटर्न का कानून न केवल भेदभावपूर्ण है - यह ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यह **धार्मिक या डायस्पोरिक दावों** वालों को विशेषाधिकार देता है, जबकि **वंशज निरंतरता** वालों को वापसी से इनकार करता है।

प्रतिरोध एक अधिकार के रूप में: जीवित रहना और आत्मनिर्णय

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 पुष्टि करता है कि सभी राष्ट्रों को **आत्मरक्षा का स्वाभाविक अधिकार** है। लेकिन बिना राज्य के लोगों का क्या? घेराबंदी के तहत आबादी का क्या?

फिलिस्तीनी सैन्य खतरा नहीं हैं। वे एक **राज्यविहीन लोग** हैं जो सामना कर रहे हैं:

- सैन्य कब्जे,
- क्षेत्रीय विखंडन,
- व्यवस्थित वंचन,
- जातीय सफाई।

उन्हें पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी गतिशीलता से वंचित किया जाता है। उनके बच्चों का सैन्य अदालतों में मुकदमा चलता है। जब वे शांतिपूर्वक विरोध करते हैं, तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। जब वे सैन्य रूप से प्रतिरोध करते हैं, तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है।

इस संदर्भ में, प्रतिरोध एक विलासिता नहीं है - यह एक **जैविक अनिवार्यता** है। यह जीवित रहना है।

जब कानून अन्याय बन जाता है: विद्रोही जो नायक बन गए

इतिहास के दौरान, जब कानूनों ने दमनकारियों की रक्षा की और उत्पीड़ितों को अपराधी ठहराया, प्रतिरोध ने उन कानूनों को तोड़ा - और दुनिया को बदल दिया:

- **नेल्सन मंडेला**, आतंकवादी के रूप में जेल में डाले गए, बाद में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
- **रोजा पार्क्स**, नागरिक अवज्ञा के लिए गिरफ्तार की गईं, ने एक आंदोलन को प्रज्वलित किया।
- **क्लॉस वॉन स्टौफेनबर्ग**, हिटलर को मारने की कोशिश के लिए फांसी दी गई, अब एक नायक के रूप में सम्मानित हैं।

राजाओं के युग में, **विद्रोही कानून से बाहर** थे - सभी अधिकारों से वंचित, राज्य द्वारा शिकार किए गए। लेकिन ये विद्रोही ही थे जिन्होंने **संप्रभु उन्मुक्ति** को समाप्त किया और आधुनिक न्याय को जन्म दिया।

जब कानून अब लोगों की सेवा नहीं करता, तो विद्रोह अपराध नहीं है - यह **मौलिक** है।

निष्कर्ष: बहानों का अंत, न्याय की वापसी

अक्सर कहा जाता है कि इज़राइल को होलोकॉस्ट के आघात के माध्यम से समझा जाना चाहिए। कि इसके डर उत्पीड़न में निहित हैं, और इसकी कठोरता एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। और वास्तव में, कानून अक्सर पृष्ठभूमि को ध्यान में रखता है - जैसे कि एक न्यायाधीश किसी प्रतिवादी की हिंसक बचपन को तौल सकता है।

लेकिन होलोकॉस्ट के बाद **77 साल** बीत चुके हैं। इज़राइल एक आघातग्रस्त बच्चा नहीं है - यह परमाणु हथियारों से लैस एक क्षेत्रीय महाशक्ति है, जो लाखों लोगों पर कब्जा करती है।

आघात व्यवहार की व्याख्या कर सकता है। **यह इसे हमेशा के लिए माफ नहीं करता**।

> जब एक आघातग्रस्त व्यक्ति अपमानजनक बन जाता है, तो कानून हस्तक्षेप करता है। जब एक आघातग्रस्त राज्य बार-बार अपराधी बन जाता है, तो दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए।

यदि अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई अर्थ होना है, तो इसे **सभी** पर लागू होना चाहिए। यदि शांति संभव हो, तो इसे **न्याय** के साथ शुरू होना चाहिए। और जब शांतिपूर्ण रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं - जब कानून दमन का एक उपकरण बन जाता है - **प्रतिरोध एक कर्तव्य बन जाता है**।

तो, वापस लड़ना अपराध नहीं है। यह एक **नैतिक दायित्व** है। यह एक **जीवित रहने का कार्य** है। यह वह क्षण है जब **कानून से बाहर का व्यक्ति न्यायपूर्ण बन जाता है**।